HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2195/2020

The Union Of India, Through General Manager, North Western Railway, Jaipur, Rajasthan

----Appellant

Versus

1. Smt. Pinki W/o Late Shri Anil, aged about 36 years, R/o 15, Charkhi, Tehsil Dadri, Distt. Bhiwani Harayana
2. Himanshi D/o Late Shri Anil, aged about 11 years, R/o 15, Charkhi, Tehsil Dadri, Distt. Bhiwani, Harayana
3. Sarjeet S/o Shri Anil, aged about 9 years, R/o 15, Charkhi, Tehsil Dadri, Distt. Bhiwani Harayana
4. Manphool S/o Shri Hari Singh, aged about 66 years, R/o 15, Charkhi, Tehsil Dadri, Distt. Bhiwani, Haryana
5. Smt Kela W/o Shri Manphool, aged about 63 years, R/o 15, Charkhi, Tehsil Dadri, Distt. Bhiwani Harayana Applicant No. 2 And 3 Are Minor Hence, Through Their Natural Guardian Mother Smt. Pinki Applicant No. 1

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Gaurav Jain, Adv. with Mr. Shrikant, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ajay Shukla, Adv. with Mr. Raghav Sharma, Adv. Mr. Shivam Sharma, Adv. Ms. Jyoti Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

अपीलार्थी/विपक्षी भारत संघ (आगे ''विपक्षी'' कहा जायेगा) की ओर से यह अपील विद्वान रेलवे दावा अधिकरण, जयपुर बेंच द्वारा प्रकरण संख्या–OA-II-42/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से अनिल कुमार के परिजन/दावेदार (आगे ''दावेदार'' कहा जायेगा) को कुल 8,00,000/–रूपये प्रतिकर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश दिया गया है।

RAJASTHAN HIGH COURT

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/विपक्षी का तर्क है कि मृतक की मृत्यु ट्रेन से यात्रा करते समय अथवा ट्रेन के उपयोग के दौरान रेलवे ट्रेक पर हुई हो, ऐसा अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता दावेदारों का निवेदन है कि स्वयं राजकीय रेलवे पुलिस थाना बांदीकुई की जांच तथा प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के अनुसार मृतक सद्भाविक रेल यात्री था और सफर के दौरान गिरने से उसकी मृत्यु हुई है, विद्वान अधिकरण के निर्णय को विधिसम्मत व तथ्यों के अनुरूप होना बताते हुए यह अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि मृतक तत्समय उचित रेल टिकट लेकर ट्रेन से सफर कर रहा था और दौसा के पास ट्रेन से गिर जाने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है, इस संबंध में प्रदर्श–16 राजकीय रेलवे पुलिस की जांच रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि दिनांक 08.09.2017 को रेल के माध्यम से सफर के दौरान मृतक दौसा के पास ट्रेन से गिर गया था और कारित चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है, अतः ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य के अनुसार विद्वान अधिकरण द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, अतः अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत होकर पुष्ट होने तथा यह अपील खारिज होने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी भारत संघ की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2020 की पुष्टि की जाती है। स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं। विद्वान अधिकरण का अभिलेख, यदि प्राप्त हो रखा है, तो आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /29